न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 12/2023

दायर दिनांकः 18.10.2023

निर्णय दिनांक 03.02.2025

—: अनवान :—

रामचन्द्र पिता गोपीलाल जी पालीवाल आयु 72 वर्ष निवासी नौगामा तहसील व जिला राजसमन्द **— अपीलांट**

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द **— रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 04/2023 सरकार बनाम रामचन्द्र निर्णय दिनांक 30.06.2023 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 04/2023 सरकार बनाम रामचन्द्र निर्णय दिनांक 30.06.2023 से व्यथित होकर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम नोगामा तहसील राजसमन्द की आराजी नम्बर 450 रकबा 0.0971 पर सम्वत 2080 में अतिक्रमण कर पक्की पत्थर की बाउण्ड्री एवं बाडा बना अतिक्रमण कर लिये जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा धारा 91 के भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द में अतिकमी रामचन्द्र के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार राजसमन्द के न्यायालय में प्रकरण संख्या 04/2023 दर्ज होकर निर्णय भूमि से अतिकमी को बेदखल करने और लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/—

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आरोपित करने की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 30.06.203 को पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अंपीलार्थी को उक्त भूमि बाडे के रूप में आवंटित हुई थी जिस पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। यह आवंटन स्वयं तहसीलदार द्वारा किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार ने पटवारी हल्का को दिनांक 07.05.1983 कमांक 83 से तहरीर जारी की गई थी जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में भी अपीलार्थी के नाम किस्म बाडे के रूप में अंकन किया गया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है बल्कि अपीलांट वैद्य रूप से इस भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विधि विरूद्ध एवं अवैध माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किये बगेर ही मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। जो अवैध एवं विधि विरुद्ध होकर न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज राज्य के मामले में यही सिद्धाना प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। अपीलार्थी ने पूर्व में तहसीलदार राजसमन्द से अपने उक्त बाडे में पड़ौसी खातेदार भंवरलाल वगैरा अवैद्य रूप से रास्ता निकालने का प्रयास किया था जिसके संबंध में अपीलार्थी ने तहसीलदार राजसमन्द से अपनी सीमा में कोट निर्मित करने के लिए अनुमति चाही थी जिस पर तहसीलदार राजसमन्द ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2019 के जरिये अनुमती प्रदान की थी। जिसकी अनुपालना में विधिवत कोट निर्मित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध भंवरलाल द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द के यहाँ पर अपीलार्थी व उसके भाई हिरालाल के विरूद्ध अपील संख्या 19/2022 प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है और उस अनुमति पूर्वक बनाये गये कोट को आधार बना कर भँवरलाल वगैरा द्वारा की गई झूठी शिकायत के आधार पर पटवारी हल्का ने पुनः धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की है और उसके आधार पर अपीलार्थी को सुने बगेर पारित किया गया आदेश अवैद्य एवं विधि विरुद्ध है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट ने अनुमति पूर्वक इसके चारो और पत्थर की कोट बना रखी है इसमें मवेशी बांधे जाते है जिनके लिए टाट बना रखी है मवेशीयों के पीने के पानी के लिए प्याउ बना रखी है नल कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/07/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट का कब्जा दिनांक 07.05.1983 से है और अपीलान्ट का मामला नियमन योग्य है, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये बगेर उसके विरूद्ध कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलार्थी को तामील ही नहीं हुई है तथा सम्मन की अपीलांट पर प्रोपर तामील कराये बगेर ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो न केवल अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के भी विपरित है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट के भुखण्ड/बाडे को राज्य सरकार के प्रचलित नियमो के तहत नियमन करने हेतु आदेश प्रदान कराया जाये।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम नोगामा तहसील राजसमन्द की आराजी नम्बर 450 रकबा 0.0971 पर सम्वत 2080 में अतिक्रमण कर पक्की पत्थर की बाउण्ड्री एवं बाडा बना अतिक्रमण कर लिये जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा धारा 91 के भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द में अतिकमी रामचन्द्र के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार राजसमन्द के न्यायालय में प्रकरण संख्या 04/2023 दर्ज होकर निर्णय भूमि से अतिकमी को बेदखल करने और लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 30.06.203 को पारित किये व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलार्थी को उक्त भूमि बाडे के रूप में आवंटित हुई थी जिस पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। यह आवंटन स्वयं तहसीलदार द्वारा किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार ने पटवारी हल्का को दिनांक 07.05.1983 कमांक 83 से तहरीर जारी की गई थी जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में भी अपीलार्थी के नाम किस्म बाडे के रूप में अंकन किया गया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है बल्कि अपीलांट वैद्य रूप से इस भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट ने अनुमति पूर्वक इसके चारो और पत्थर की कोट बना रखी है इसमें मवेशी बांधे जाते है जिनके लिए टाट बना रखी है मवेशीयों के पीने के पानी के लिए प्याउ बना रखी है नल कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कांक-प-6 (7) राज-4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/07/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट का कब्जा दिनांक 07.05.1983 से है और अपीलान्ट का मामला नियमन योग्य है, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये बगेर उसके विरूद्ध कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलार्थी को तामील ही नहीं हुई है तथा सम्मन की अपीलांट पर प्रोपर तामील कराये बगेर ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो न केवल अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के भी विपरित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का एमडी ने अपीलार्थी रामचन्द्र पिता गोपीलाल पालीवाल के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम नौगामा कि बिलानाम भूमि आराजी संख्या 456 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बंजड़ बाड़ा में से 0.0921 हैक्टेयर भूमि पर रामचन्द्र पिता गोपीलाल पालीवाल ने पत्थर की कच्ची बाउण्ड्री व बाड़ा बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का एमडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री रामचन्द्र पिता गोपीलाल पालीवाल को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की समूचित तामिल के उपरान्त रामचन्द्र पिता गोपीलाल पालीवाल के नियत पेशी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित कर बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा होने से बेदखली आदेश पारित किया गया व शास्ति आरोपित की गयी। अपीलार्थी ने अपील मेमो में वादग्रस्त आराजी संख्या 450 वर्णित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 456 पर कार्यवाही की गयी है।

जहां तक वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रश्न है, अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को बाड़े के रूप में आंवटित हुई थी। जिस पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है यह आंवटन स्वयं तहसीलदार द्वारा किया गया था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे होने संबंधित कोई दस्तावेज व वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी को बाडे हेतु आंवटित होने संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बदेखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद